

हाइब्रिड कारों पर कोई रजिस्ट्रेशन टैक्स नहीं

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने [हाइब्रिड कारों](#) पर रजिस्ट्रेशन टैक्स माफ करने का निर्णय किया है। यह निर्णय [गरीन वाहनों](#) के लिये एक महत्वपूर्ण बढ़ावा है।

मुख्य बंदि

- इस कदम से मुख्य रूप से [मारुता सुजुकी](#), [टोयोटा करिलोस्कर मोटर](#) और [हॉडा कार्स इंडिया](#) जैसी कार निर्माता कंपनियों को लाभ होगा। ग्राहक 3.5 लाख रुपए तक की बचत कर सकते हैं।
- उत्तर प्रदेश में **10 लाख रुपए से कम मूल्य के वाहनों पर 8% रोड टैक्स तथा 10 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से अधिक मूल्य के वाहनों पर 10% रोड टैक्स लगाया जाता है।**
 - हाइब्रिड वाहनों की कम बिक्री के कारण सड़क कर माफी से राज्य के राजस्व पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।
- स्वामित्व में आसानी [इलेक्ट्रिक वाहनों \(EV\)](#) की तरह समर्पित चार्जिंग बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता नहीं, पेट्रोल कारों की तुलना में बेहतर माइलेज और **कम अधिग्रहण लागत** जैसे कारकों के कारण [हाइब्रिड वाहनों की बिक्री में तेज़ी आ रही है।](#)
 - वर्ष 2023 में राज्य ने [इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिये तीन वर्ष की टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क छूट](#) की घोषणा की, जबकि राज्य के भीतर निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये पाँच वर्ष की छूट दी जाएगी।

हाइब्रिड वाहन

- हाइब्रिड वाहन पारंपरिक [आंतरिक दहन इंजन \(Internal Combustion Engine- ICE\)](#) को [इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली](#) के साथ जोड़ते हैं, जिससे वाहन को एक या दोनों ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके संचालित करने की अनुमति मिलती है।
- हाइब्रिड प्रणालियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं, लेकिन सबसे आम हैं [समानांतर हाइब्रिड](#) (इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों ही वाहन को स्वतंत्र रूप से शक्ति प्रदान कर सकते हैं) तथा [शृंखला हाइब्रिड](#) (केवल इलेक्ट्रिक मोटर पहियों को चलाती है, जबकि इंजन वदियुत उत्पन्न करता है)।